



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार—249404

संख्या: 236 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा—2 / 2021—22

दिनांक : 16 नवम्बर, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन—2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए०पी०आई० स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 तथा दिनांक 29 मार्च, 2023 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 एवं दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल (Geography) के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका के कॉलम—03 के अनुसार मा० आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:—

| SNO | ROLLNO | कार्यालय टिप्पणी |
|-----|--------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 504660 | <p>1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद—विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</p> |
| 2. | 504805 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 3. | 504814 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कुमाऊँ विद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र संलग्न है। विज्ञापन के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा/विजिटिंग प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता को अधिमान अनुमन्य है, तदक्रम में अधिमान अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 4. | 504864 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा दून विद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र संलग्न है। विज्ञापन के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत होने पर ही अधिमान अनुमन्य है, तदक्रम में उक्त अधिमान अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 5. | 504904 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |

| SNO | ROLLNO | कार्यालय टिप्पणी |
|-----|--------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 6. | 504977 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में उक्त अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 7. | 505009 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 8. | 505055 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के लिए संविदा प्रवक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी वर्तमान में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, विज्ञापन के अनुसार संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत न होने के कारण उक्त अधिमानी अर्हता को दावा मान्य नहीं है। |
| 9. | 505303 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में उक्त अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 10. | 505308 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड के किसी राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत होने विषयक अनुभव का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है। |
| 11. | 505508 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र के अनुसार अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अधिमान अर्हता का दावा अनुमन्य नहीं है। |
| 12. | 505602 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा 01 सत्र 2021–22 हेतु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 16.12.2021 से कार्यरत है उक्त के क्रम में सत्र 2021–22 की अवधि 03 माह से कम होने के कारण अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है। |
| 13. | 505613 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 14. | 505625 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त के क्रम अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है। |
| 15. | 505771 | 1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके लिए प्रस्तुत किये गये राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल पौडी गढ़वाल के प्रमाण—पत्र में 01 सत्र का दावा किया गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी दिनांक 31.01.2021 तक कार्य किया है, अभ्यर्थी विज्ञापन के क्रम में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अधिमान/बोनस अनुमन्य नहीं है। |

| SNO | ROLLNO | कार्यालय टिप्पणी |
|-----|--------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 16. | 505798 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैकचरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है। |
| 17. | 505983 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा नहीं मान्य है। |
| 18. | 506025 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |
| 19. | 506069 | अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। |

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार) के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
 (गिरधारी सिंह रावत)
 सचिव।